



प्रेस नोट

दिनांक 22.01.2025

थाना मौदहा पुलिस द्वारा लूट का वांछित अभियुक्त लूट के रुपयों सहित गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना मौदहा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 471/2024 धारा 309(4)/61(2)/317(3) BNS से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त चकला उर्फ सैफ अली पुत्र इदरीश निवासी मुहल्ला गढी वार्ड नंबर 03 कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 19 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 11.11.2024 को बैंक मित्र रमेश चन्द्र पुत्र शिवरतन निषाद निवासी ग्राम छिमौली थाना मौदहा जनपद हमीरपुर अपने मित्र के साथ इंडियन बैंक मौदहा से 1,80,000/- रुपए निकाल कर अपने गांव छिमौली जा रहे थे कि बड़ेरी नाला के पास मोटरसाइकिल पर सवार 03 अज्ञात व्यक्ति आंख में मिर्च पाउडर डालकर उनका रुपये से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गये थे। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मौदहा पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 471/2024 धारा 309(4) BNS बनाम मोटरसाइकिल सवार 03 अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के द्वारा पुलिस टीम का गठन कर घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। थाना मौदहा पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से अभियुक्तगण 1.अभियुक्त विपिन पाल पुत्र जगभान पाल निवासी बाकी रोड कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर 2.रोशन निषाद पुत्र बृजलाल निवासी ग्राम छिमौली थाना मौदहा जनपद हमीरपुर 3.ज्ञान सिंह पुत्र सर्वन निषाद निवासी चुंगी चौकी क्यौंटरा कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को दिनांक 14.11.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये फरार चल रहे अभियुक्त चकला उर्फ सैफ अली पुत्र इदरीश निवासी मुहल्ला गढी वार्ड नंबर 03 कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को थाना मौदहा पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर बी0एस0एन0एल0 टावर के पास कस्बा मौदहा से लूट के 10,400/ रुपयों के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

नाम व पता अभियुक्त-

चकला उर्फ सैफ अली पुत्र इदरीश निवासी मुहल्ला गढी वार्ड नंबर 03 कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 19 वर्ष)।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त के कब्जे से लूट का 10,400 रुपये बरामद होना ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरी0 क्राइम चन्द्रशेखर गौतम
2. का0 आसिफ शेख
3. का0 सुधाकर

